पेयजल आपूर्ति में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बजट घोषणाओं व लंबित परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारें

जयपुर, 28 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेयजल आमजन की मूलभूत आवश्यकता है और इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जलापूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही, फील्ड स्तर पर अधिकारियों की सक्रियता और जवाबदेही भी तय की जाए।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने विभाग की बजट घोषणाओं, प्रगतिरत एवं लम्बित परियोजनाओं के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के बीच जाकर जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं का निस्तारण कर आमजन का विश्वास अर्जित करें।

उन्होंने अधिकारियों को लम्बित परियोजनाओं की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का विभागीय स्तर पर



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि स्थायी जल स्रोतों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरुप विकसित एवं संरक्षित कर उनकी उपयोगिता बनाये रखें। जल संसाधनों का अधिकतम और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।

त्वरित समाधान करते हुए कार्यों की गति बढ़ाई जाए। साथ ही, उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए अधिकाधिक घरों तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने जल भवन में "सेंटर ऑफ एक्सलैंस" विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए मोबाइल टैस्टिंग वैन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्थायी जल स्रोतों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित एवं संरक्षित कर उनकी उपयोगिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जल संसाधनों का अधिकतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने न्यायालयों में विचाराधीन विभागीय प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

रविवार को भाजपा ने सभी सांसदों की बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 28 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले रविवार, 29 नवंबर को अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। इसमें सांसदों को नए परिसीमन विधेयक, इससे जुड़े संशोधनों और अन्य संवैधानिक बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद सत्र से पहले पार्टी के सभी सांसदों को प्रस्तावित विधेयकों के

- उन्हें परिसीमन विधेयक व उसकी बारीकियों के बारे में बताया जायेगा।

प्रावधानों, उनके उद्देश्यों और उनसे जुड़े संवैधानिक पहलुओं को लेकर तैयार करना है। इसके लिए संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) के सदस्य सांसदों को प्रस्तावित बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बैठक में परिसीमन विधेयक और उससे संबंधित संवैधानिक संशोधनों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। सीसीपीए के सदस्य सांसदों को बताएंगे कि इन विधेयकों में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं और संसद में इन पर चर्चा के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। भाजपा की इस बैठक को आगामी संसद सत्र की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी चाहती है कि सभी सांसद विधेयकों की विषयवस्तु और संवैधानिक प्रावधानों को अच्छी तरह समझें, ताकि संसद में चर्चा के दौरान वे पार्टी का पक्ष प्रभावी ढंग से रख सकें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दीपथून स्तंभ पर कार्तिक दीपोत्सव सम्पन्न हुआ

सेवानिवृत्त न्यायाधीश वैद्यनाथन और पार्थिबन इस धार्मिक अनुष्ठान के समय उपस्थित रहे

मदुरै, 28 नवंबर। तमिलनाडु के मदुरै के निकट स्थित ऐतिहासिक तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार को कार्तिक दीपोत्सव श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, पहाड़ी पर स्थित दीपत्तून स्तंभ में ठीक शाम पांच बजे पवित्र दीप प्रज्ज्वलित किया गया। इस दौरान धार्मिक परंपराओं और विधि-विधान के अनुसार दीप आराधना की गई। पहाड़ी की चोटी पर प्रज्ज्वलित ज्योति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया।

दीप प्रज्ज्वलन के अवसर पर

- इस अवसर पर कांची श्रीशंकर नारायण पीठ के श्रीश्री शंकर तीर्थ स्वामी ने कहा कि धर्म अपना कर्तव्य उचित समय पर पूरा करता है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश वैद्यनाथन और पार्थिबन उपस्थित रहे। इसके अलावा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रशासन की ओर से अनुमति प्राप्त 50 श्रद्धालुओं को भी इस आयोजन में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

इस अवसर पर उपस्थित कांची श्री शंकर नारायण पीठ के श्री श्री शंकर तीर्थ स्वामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धर्म अपना कर्तव्य उचित समय पर पूरा करता है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायपालिका की ओर से दिए गए निर्देशों और यहां की गई व्यवस्थाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना भी की।

आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष गौरान पर अग्रिम कार्यवाही पर रोक

जयपुर, 28 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस की मुख्य परीक्षा-2011 के पेपर की गोपनीयता भंग होने से जुड़े मामले में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हबीब खान गौरान को राहत देते हुए, उनके खिलाफ एसओजी में 2014 में दर्ज केस में आगामी आदेश तक अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी तारीख से पहले एफएसएल रिपोर्ट के साथ ही सीसीटीवी से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में पेश करे। जस्टिव वीके भारवानी ने ये अंतरिम आदेश हबीब खान गौरान की याचिका पर दिए।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रिनेश

- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एफएसएल रिपोर्ट व सीसीटीवी से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा।

गुप्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के 24 नवंबर 2014 के आदेश और 6 जनवरी 2015 के आदेश के बाद भी, अनुसंधान अधिकारी ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज से संबंधित दस्तावेज व एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं की है। ऐसे में करीब 12 साल बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। अदालत ने प्रार्थी पक्ष की दलील सुनकर एसओजी मामले में आगामी पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

मामले के अनुसार, आरजेएस-2011 की मुख्य परीक्षा मार्च 2013 में हुई थी। इस परीक्षा में हबीब खान गौरान की बेटी भी बतौर अभ्यर्थी शामिल हुई थी। एसओजी का आरोप है कि इस मामले में गौरान पर खुद को परीक्षा से अलग रखने के बावजूद, वे अहमदाबाद की उस प्रिंटिंग प्रेस में गए थे, जहां आरजेएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न-पत्र छप रहे थे। इस पर एसओजी ने 2 अक्टूबर 2014 को गौरान के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

'पवार सदा ही पीठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा है। ये खबरें सामने आई हैं कि एनसीपी (एसपी) संसद में परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए एन.डी.ए. का समर्थन करेगी।

राउत ने दावा किया कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आगामी परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के बदले, केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कड़ी सौदेबाजी कर रही है।

महाराष्ट्र के सतारा जिले में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा, "कहा जा रहा है कि कुछ पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है और उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) भी शामिल है। यदि वे ऐसा फैसला लेते हैं और इसकी घोषणा करते हैं, तो यह उनकी पार्टी और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा।" राउत ने आगे कहा, "ऐसी पार्टी को भविष्य में फुले, शाहू, अम्बेडकर और यशवंतराव चव्हाण का नाम नहीं लेना चाहिए।"

ज्ञातव्य है कि फुले, शाहू और अम्बेडकर महाराष्ट्र के तीन ऐसे प्रमुख समाज सुधारक थे, जिनके विचार पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में सामाजिक न्याय, जातिगत समानता, शिक्षा और लोकतंत्र से जुड़ी चर्चाओं को दिशा देते हैं। यशवंतराव चव्हाण एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वे कांग्रेस नेता, सहकारिता आंदोलन से जुड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थे। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता शरद पवार के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं।

समर्थन के बदले केन्द्र व महाराष्ट्र में मंत्री पद चाहता है शरद पवार गुट

नई दिल्ली, 28 नवंबर। संसद के आगामी विशेष सत्र से पहले, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनएसपी-एसपी) के भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक पर समर्थन देने और इंडिया गठबंधन से एनडीए में जाने के बदले केन्द्र और महाराष्ट्र, दोनों स्तरों पर मंत्री पद चाहती है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी संसद में विधेयक के समर्थन से पहले सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय करना चाहती है।

रिपोर्ट के अनुसार, एनएसीपी-एसपी नेतृत्व लोकसभा सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद चाहता है। सुप्रिया

- चर्चा है कि कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले केन्द्र में मंत्री बनेंगी और वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल व जितेन्द्र आव्हाड महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री बनेंगे।

सुले हाल ही में इंडिया गठबंधन की ओर से कथित चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर हुए प्रदर्शनों में सक्रिय थीं। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से वे परिसीमन के समर्थन में अपनी बात रख रही हैं।

पार्टी केन्द्र में सुप्रिया सुले के लिए मंत्री पद के साथ ही महाराष्ट्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में भी दो कैबिनेट मंत्री पद चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक, एनएसपी-एसपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय दिए जाने की चर्चा है, जबकि जितेन्द्र आव्हाड को एक अन्य कैबिनेट विभाग मिल सकता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शरद पवार द्वारा सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की मांग किए जाने की खबरों को खारिज किया गया है। सुप्रिया सुले ने खुद इन दावों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी पार्टी के केवल 10 विधायक हैं।

मुख्यमंत्री मान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिलहाल वे माझा क्षेत्र की खडूर साहिब लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह क्षेत्र पहले अलगाववादी उग्रवाद का गढ़ रहा है। उनकी पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के सूत्रों ने बताया कि दूसरी विधानसभा सीट खेमकरण होगी, जो उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

'जब्त किए गए गांजे को एफएसएल में भेजने में देरी क्यों'

जयपुर, 28 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस से जुड़े एक मामले में जब्त गांजे को पाँच महीने तक थाने में रखने और एफएसएल में देरी से भेजने पर पुलिस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है तथा मामले के आईओ सहित, अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ करौली एसपी को विस्तृत जांच कर चार महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

अदालत ने एसपी को कहा है कि यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएं तो उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई की जाए। जस्टिस रवि चिरानिया ने ये आदेश आरोपी अजय कुमार शर्मा को जमानत देते हुए दिए। अदालत ने पाया कि जब्त मादक पदार्थ करीब पांच महीने तक पुलिस थाने में रखा रहा और इन्वेंट्री बनाने और एफएसएल में

- हाईकोर्ट ने करौली एसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी व आरोपी को जमानत दी।

नमूने भेजने में देरी हुई, लेकिन देरी का उचित स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है। जांच अधिकारी का दायित्व है कि वह एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का सख्ती से पालन करे। अधिवक्ता डॉ. विभूतिभूषण शर्मा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जब्त मादक पदार्थ को नमूने के लिए भेजने में देरी की और दस्तावेजों में विरोधाभास है।

बीजापुर में नक्सली डम्प से 3.84 किलो सोना बरामद

बीजापुर, 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में इंद्रावती नदी के आसपास के जंगलों से सुरक्षाबलों ने जमीन में छिपाकर रखा गया नक्सली डम्प बरामद किया है। इसमें 3.84 किलोग्राम सोना और 24 लाख 22 हजार 500 रुपये नकद मिले हैं। बरामद सोने की अनुमानित कीमत चार करोड़ 29 लाख रुपये बताई गई है। बीजापुर पुलिस के अनुसार, शनिवार को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में इंद्रावती नदी के आसपास के जंगलों में जमीन के अंदर नक्सली डम्प छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर बीजापुर के पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया।

पौड़ी गढ़वाल में इको कार खाई में गिरी, 8 की मौत

तीन सौ मीटर नीचे गिरी कार में 12 लोग सवार थे, चार को सुरक्षित बाहर निकाला गया

पौड़ी गढ़ वाल, 28 नवंबर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़ वाल जिले के रिखणीखाल क्षेत्र में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कलवाड़ी गांव के समीप यात्रियों से भरी इको कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। दुर्घटना के समय वाहन में चालक सहित कुल 12 लोग सवार थे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें

- पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद खाई में फंसे चार घायलों को बाहर निकाला जा सका।

मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई में फंसे चारों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। आठों मृतकों के शव भी खाई से निकाल लिए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने बताया कि वाहन रिखणीखाल से भंगलवाड़ की ओर जा रहा था, जब कलवाड़ी के पास यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक 4 घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 8 लोगों की इस सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है।

गतिरोध रोकने के लिए केन्द्र का 50 प्रतिशत सीट वृद्धि फॉर्मूला

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। केन्द्र सरकार ने रिवाइज्ड डीलिमिटेशन फार्मूले को मंजूरी दे दी है। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, 2051 तक राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा इंटरस्टेट बंटवारे को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। इस कदम का उद्देश्य एक ऐसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और विवादित मुद्दे का समाधान करना है, जिसने केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है, खासकर दक्षिणी राज्यों के साथ, जिन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से उनकी संसदीय हिस्सेदारी कम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को संविधान (132वां संशोधन) विधेयक के संशोधित मसौदे

- इससे संसद में राज्यों की सीटों का वर्तमान अनुपात सुरक्षित रहेगा।

को मंजूरी दे दी। उम्मीद है कि यह विधेयक 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इससे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व और फैडरल (संघीय सिद्धांत) के बीच संतुलन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक टकराव की स्थिति बन सकती है।

प्रस्तावित फार्मूले के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 हो जाएगी। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 815 सदस्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के 35 सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को उसकी मौजूदा सीटों की संख्या के मुकाबले 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। राज्यों की विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या भी 500 से बढ़ाकर 650 हो जाएगी।

हाई कोर्ट ने कलकत्ता में स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोबारा तय करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष को दस दिनों के भीतर नए नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करनी होगी।

इस फैसले के बाद, जब तक विधानसभा अध्यक्ष नए नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित नहीं करते, तब तक विधानसभा में कोई आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। यह फैसला न केवल भ्रम पैदा करने वाला है, बल्कि संसदीय व्यवस्था के तर्कों को भी उलझाता है।

ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को विधानसभा के 58 से 60 निर्वाचित सदस्यों का समर्थन हासिल था, इसके बावजूद उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया।

विडंबना यह है कि नई विधानसभा में बागी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के ऋतब्रत गुट के साथ टीएमसी के लगभग 60 विधायक हैं, इसके मुकाबले, मूल तृणमूल कांग्रेस के साथ लगभग 20 विधायक हैं।

चुनाव में करारी हार के तुरंत बाद, जब ममता बनर्जी लगातार यह दावा कर रही थीं कि उनकी हार नहीं हुई है, तब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सीधे उकसावे पर तृणमूल कांग्रेस के हारे हुए गुट ने अपने विधायक शोभनदेव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का दावा पेश किया। इसके लिए विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक औपचारिक पत्र भी विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था।

हालांकि, बाद में पता चला कि स्पीकर को सौंपे गए उस पत्र में, जिसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का दावा किया गया था, कई फर्जी हस्ताक्षर थे। निर्वाचित विधायकों ने खुद अपने नाम नहीं लिखे थे, बल्कि उनके हस्ताक्षर किसी और तरीके से किए गए थे।

इस बीच, कई अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी सामने आ गए, जिससे नेता प्रतिपक्ष के चयन का मामला और उलझ गया। बागी विधायक एकजुट होकर दावा करने लगे कि असली तृणमूल कांग्रेस वही हैं और ममता बनर्जी के साथ बचा हुआ गुट तो पार्टी का केवल एक छोटा हिस्सा है।

बागी विधायकों ने पार्टी के चुनाव चिह्न और बैंक खातों पर भी अपना अधिकार जताया। इन दोनों ही मामलों में अब तक अनिश्चितता बनी हुई है। पार्टी का चुनाव चिह्न फिलहाल फ्रीज़ कर दिया गया है और दोनों गुटों को इससे वंचित रखा गया है। हजारों करोड़ रुपये की पार्टी की धनराशि भी दोनों गुटों की पहुंच से बाहर है।

पार्टी के धन के दुरुपयोग को लेकर भी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग करने वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर को लेकर कई मामले लंबित हैं। इस फर्जीवाड़े के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक अभिषेक बनर्जी भी हैं।

ऐसी स्थिति में ममता गुट पर दबाव बनाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर का मामला एक बार फिर खोला जा सकता है।

बुजुर्ग को कुचलकर मारने वाला कार चालक गिरफ्तार

जयपुर, 28 नवम्बर। जवाहर नगर थाना पुलिस ने सिंधी कॉलोनी कच्ची बस्ती में तेज रफ्तार कार से बुजुर्ग को कुचलकर मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार सुबह आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त कार भी जब्त कर ली। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

थाना प्रभारी सरला यादव के अनुसार, घटना 27 नवंबर को दोपहर करीब 4:30 बजे सिंधी कॉलोनी कच्ची बस्ती में हुई थी। यहां घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर धूप सेंक रहे मोहन लाल (66) को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी।

थाना प्रभारी सरला यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तेज प्रकाश शर्मा (28), निवासी रामपुरा पावटा के रूप में हुई है। वह लालकोठी स्थित आईसीआईसीआई

- चालक आईसीआईसीआई बैंक के ऋण विभाग में कार्यरत है व मित्र की कार लौटाने जा रहा था।

बैंक के ऋण विभाग में कार्यरत है। आरोपी अपने दोस्त निशांत से कार उधार लेकर गया था। निशांत जवाहर नगर का निवासी है और एचडीएफसी बैंक में नौकरी करता है।

थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी शुक्रवार को अपने दोस्त निशांत को कार लौटाने जा रहा था। कार में लगे नक्शे के माध्यम से रास्ता खोजते समय वह लोकेशन भूल गया और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार के चलते, उसने कार से नियंत्रण खो दिया और बुजुर्ग को टक्कर मार दी।

शिखर अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह ताजा घटनाक्रम हाईकोर्ट के उस निर्देश के एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार को अग्रवाल की याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया था।

हाईकोर्ट में अग्रवाल ने अपने वकीलों के माध्यम से दावा किया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच की मंजूरी देने की प्रक्रिया में "कई स्पष्ट खामियां और प्रक्रियागत अनियमितताएं थीं।"

उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ जांच की मंजूरी देने में गलती की है। उनके अनुसार, यह मंजूरी "बिना तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार किए जल्दबाजी में दी गई, जिससे इस मंजूरी की वैधता और औचित्य पर गंभीर सवाल उठते हैं।"

19 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल उमर उपमन की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से रिट याचिका पर जवाब दाखिल किए जाने के बाद ही इन दावों की जांच की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने कहा था, "इसलिए अंतरिम राहत की मांग पर अगली सुनवाई की तारीख पर विचार किया जाएगा।" अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की थी।

इससे ठीक एक दिन पहले एसीबी ने अग्रवाल और गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

एफआईआर में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच अग्रवाल और उनके परिवार ने गोयल फैशन्स के अनंता रिसॉर्ट्स से उदयपुर, अलवर और जयपुर में कुल 64 विला बेहद कम कीमतों पर खरीदे थे।

इसके बदले कंपनी को अग्रवाल के माध्यम से अनुचित लाभ मिला। यह लाभ तब मिला, जब अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर थे। इससे पहले उदयपुर के जिला कलेक्टर और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कथित तौर पर कंपनी को लाभ पहुंचाया था।

वित्त विभाग ने 27 मार्च 2026 को कंपनी के लिए एक विशेष पैकेज (कस्टमाइज्ड पैकेज) जारी किया था। उसी दिन अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने अलवर के अजबगढ़ में 20 विला खरीदे थे। आरोप है कि कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के सामान्य प्रावधानों के बजाय, इसी विशेष पैकेज के तहत लाभ दिए गए थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908